# फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 14/3/24 | व० प्रार्थी द्वारा तलबी जारिये रजिस्टर्ड डाक किया गया। सम्मन जारी हो। पत्रावली बाद तलबी वास्ते हमी रसीद व ट्रेकिंग रिपोर्ट हेतु दिनांक 01/5/24 को पेश हो। |
| | 01/5/24 | व० प्रार्थी द्वारा हमी रसीद पेश की जो शाखा मुख्य वाद रही। पत्रावली तलबी हेतु दिनांक 3/6/24 को पेश हो। |
| | 3/6/24 | व० प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली बइन्तजार तलबी वास्ते ट्रेकिंग रिपोर्ट हेतु दिनांक 3/7/24 को पेश हो। |
| | 3/7/24 | व० प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 तामील के बावजूद की अनुपस्थिति डाल [illegible] पक्षीय कार्यवाही [illegible] प्रार्थी [illegible] प्रार्थी का [illegible] विवादित खेत के खातेदार काश्तकार हैं नियमानुसार प्रत्येक खातेदार-काश्तकार |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:38:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

रामस्वरूप बनाम कृष्णी देवी वगै०

नम्बर :– 02/2024

| तिथि आज्ञा कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| | को अपनी भूमि की सुरक्षा करने हेतु किसी अन्य को पाबन्द करवाने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी विपक्षी भूमि के रिकॉर्ड के अनुसार काश्तकार होने से विपक्षी भूमि के अस्थायी पट्टा धारी है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया केश सुविधा का सन्तुलन व अपरिहार्य हानि का विश्वास प्रार्थी के पक्ष के अस्थायी साबित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व अन्तरिम निर्णय 8/1/24 को हा. के समान बाउ रखाते किया जाकर पाबन्द किया जाता है। प्रार्थनी प्रकरण झूठा होकर उसे नुकसान का कारण है। तथा भविष्य में खतरे है झूठा वाद के सम्मन रद्द हो | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.11 16:38:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner